राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प. 10(8)राज-6/2001/ जयपुर, दिनांक 6-7-2004

समस्त जिला कलेक्टर

राजस्थान ।

परिपत्र

विषय:- सभी प्रकार की सडकों के किनारे खाली भूमि पर किस प्रकार का निर्माण कितनी दूरी पर किये जाने हेतु अनुमति के संबंध में ।

कई जिला कलेक्टरों द्वारा इस विभाग से मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 10(8)राज-6/2001 दिनांक 12-9-2003 के द्वारा नियम 1992 के नियम 4 तथा नियम 1959 के नियम 2 ख में जो संशोधन किया गया है वह स्पष्ट नही है अतः स्थिति स्पष्ट करावें इस संबंध में जो नियम बने हुये है उसके संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि उद्योग विभाग द्वारा जारी दूरी जो वर्तमान में 100 मीटर है वह केवल उद्योग स्थापना के संबंध में लागू होगी और भविष्य में उद्योग विभाग परिवर्तन करेगा तो परिवर्तित दूरी लागू होगी ।

जहाँ तक आवासीय वाणिज्यक व पेट्रोल पम्प आदि का प्रश्न है इसके लिये विभिन्न प्रकार की सडकों हेतु इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा जो वर्तमान में दिशा निर्देश/ मानदण्ड निर्धारित है (इण्डियन रोड कांग्रेस के निर्देशों की प्रति संलग्न है) लागू किये जावेंगे, क्योंकि इन प्रयोजनों की श्रेणी (केटेगरी) उद्योगों की श्रेणी से अलग है । इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा भविष्य में यदि दिशा निर्देश/ मानदण्डों में परिवर्तन किया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में परिवर्तित निर्देश/ मानदण्ड लागू होंगे ।

आज्ञा से,

(बी. एस. मीना)

शासन उप सचिव